<u>फर्द–अहकाम</u>

<u>अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, सिकराय, जिला– दौसा, राजस्थान</u>

पीठासीन अधिकारी – अनामिका सारण (यूआईडी–आरजे00700)

(आरजेएस–जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या– 4/2023, सी.आई.एस. नं. – 4/2023

सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस180001682023

कमला देवी बनाम रामसिंह व अन्य

<u>दिनांकः 06.08.2025 :–</u>

1– वादी संख्या एक लगायत चार की ओर से अधिवक्ता श्री भानूप्रकाश शर्मा व वादी संख्या पांच की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या तीन लगायत सात के अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या आठ के अधिवक्ता श्री रामचंद्र वैष्णव एवं प्रतिवादी संख्या नौ के अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। पत्रावली में दिनांकः 20.05.2023 को प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक व दो का प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहना है कि वाद में कृषि भूमि के संबंध में उदघोषणा चाही गयी है जबकि कानूनन कृषि भूमि की बाबत उदघोषणा प्राप्त करने हेतु राजस्व न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है, इसलिए यह वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वाद में वर्णित भूमि बाबत एक बाद स्पेसिक परफोरमेन्स का सिविल न्यायालय से दिनांकः 23.10.2018 को डिक्री हो चुका है और उसकी पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। इसलिए वादी कानूनन इस न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को उपरोक्तानुसार खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं –

1– सुखलाल व अन्य बनाम देवीलाल व अन्य एआईआर 1954 राजस्थान 170
2– विजयसिंह व अन्य बनाम बुद्धा व अन्य, राजस्थान, 2018(1) आरआरटी 534
3– कमली देवी बनाम रामप्यारी व अन्य, राजस्थान, 2022(2) आरआरटी 1266
4– मोहनलाल बनाम रतना, एआईआर 1971, राजस्थान 164

3– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण का मौखिक रूप से कथन रहा है वादीगण ने वाद विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने के संबंध में प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

4– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया है तथा पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण ने यह वाद विक्रय पत्र दिनांकः 05.07.2022 को धोखाधडी के आधार पर विक्रय पत्र को शून्य व अवैध की घोषणा हेतु प्रस्तुत कयिा है। जहां तक इस न्यायालय या रेवेन्यू न्यायालय का इस संबंध में कोई हक व अधिकार है अथवा नहीं तो यह तथ्य विधि का मिश्रित प्रश्न है जो तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य आने के पश्चात ही तय किया जावेगा। प्रतिवादीगण की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, वे हस्तगत वाद की तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः दिनांकः 20.05.2023 को प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

6– पत्रावली में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है और यह दावा न्यायालय का सबसे पुराना प्रकरण संख्या पांच होकर लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है। इसलिए आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब दावा पेश किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांकः 18.08.2025 को पेश हो।

(अनामिका सारण)
अपर जिला न्यायाधीश
सिकराय, जिला–दौसा